"The production in the current year has gone up by 37% value-wise as compared to the year 1992-93. CBI on the basis of the preliminary inquiry found a prima facie evidence against the suspended officers entering into criminal conspiracy with the other parties to syphon off the grant in aid given by the government to the corporation. CBI is still investigating the case.

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के पास लम्बित पड़े आवेदन पत्र

1784 **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के लिए आवंटित धनराशि पिछले तीन वर्षों से जारी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त निगम को वर्ष वार कितनी धनराशि जारी की गई तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी धनराशि दी गई और इन योजनाओं के नाम क्या क्या हैं; और

(ग) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे तथा उनमें से रद्द किये गये आवेदन पत्रों की संख्या कितनी थी; इनका ब्यौरा तथा कारण क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम सीधे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम सहित राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों की निधियां निर्मुक्त करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम को निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	वितरित की गई निधियां (रुपये लाख में)
1. 1991-92	555.00
2. 1992-93	50.00
3. 1993-94	380.00
	985.00

इन निधियों में से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 612.91 लाख रुपये 5191 लाभग्रहियों को मुख्यत: पम्प सैटो तथा वाहनों की योजना के लिए वितरित किए गए।

(ग) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम से कुल 7 योजनाएं प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने 5 योजनाएं स्वीकृत की हैं तथा प्रस्ताव अपूर्ण होने के कारण 2 योजनाएं लम्बित हैं।

Reservation for Backward Classes in Central Government Services

1785. **MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI** : Will the Minister of WELFARE be pleased to state the names of the castes among Muslims which have been included in the list to provide reservation for backward classes in the Central Government Services on the basis of the decision taken in the matter and what are the criteria thereof ?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITA RAM KESRI) : The State Government have been requested to furnish information on those sectinos of Muslim community among the OBCs which have been included in the Central